

शिविर प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर) जिला डूंगरपुर

शिविर स्थल लोल्कपुर दिनांक 18.5.2023

क्रमांक:- राजस्व. वाद / प्रशा. गावों के संग 2023/

दिनांक

आदेश

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी हल्का लोल्कपुर भू.अ. निरीक्षक वृत्त.....

आतसी की संयुक्त रिपोर्ट तथा तहसीलदार डोकडा की अनुसंशा

के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ग्राम लोल्कपुर

त. डोकडा जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2078

में खाता संख्या 178 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व

रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>लोल्कपुर</u>	<u>178</u>	<u>सोमेश्वर पुत्र कस्ता</u>	<u>सोमेश्वर पुत्र कस्ता</u>

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

क्रमांक:- राजस्व. वाद / प्रशा. गावों के संग 2023/
प्रतिलिपी,

109-10

दिनांक 18.5.23

1. तहसीलदार डोकडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जा कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पटवारी पटवार हल्का लोल्कपुर
3. रक्षित पत्रावली.

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

18/5/23
18/5/23